न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/175/2022	2022/273	13.06.2022	19.09.2022

1– सतीश पुत्र लल्लू
2– माया देवी पत्नी सतीश कुमार जाति अहीर निवासीयान् ग्राम राईखेड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1– दीपांशी पुत्री श्री संदीप नाबालिग
2– प्रिंस पुत्र संदीप नाबालिग जरिये सरपरस्त माता सुनीता स्त्री श्री संदीप कुमार जाति अहीर निवासीयान् ग्राम राईखेड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

–असल अप्रार्थीगण

3– सन्दीप पुत्र सुरेश
4– सुनीता पुत्री सुरेश
5– कौशल्या पत्नी सुरेश
6– जगन पुत्र बल्ला जाति अहीर निवासीयान् ग्राम राईखेड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
7– पंजाब नैशनल बैंक शाखा शाहबाद तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
8– तहसीलदार तिजारा जिला अलवर राज0।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री दिनेश यादव –वकील प्रार्थीगण
02. श्री छोटेलाल मीना –वकील असल अप्रार्थीगण सं0 1 व 2
03. श्री अजीत कुमार यादव –वकील तरतीबी अप्रार्थीगण सं0 3, 4 व 5

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी दीपांश वगै0 बनाम सन्दीप वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी दीपांश वगै0 बनाम सन्दीप वगै0 है। आराजी खसरा नम्बर हाल 276, 278, 280, 282, 284, 285 वाके ग्राम राईखेड़ा तहसील तिजारा बाबत दायर किया हुआ है। असल अप्रार्थीगण प्रभावशाली राजनैतिक दबंग व्यक्ति है। जिन्होंने पीठासीन अधिकारी पर नाजायज दबाव बना रखा है। अप्रार्थीगण के प्रभाव में पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर रहे है। पीठासीन अधिकारी ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण ऐलानिया तौर पर धमकी दे रहे है कि पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गयी है। शीघ्र ही वो वादपत्र स्वीकार करके रहेंगे। इसी कारण प्रकरण में जल्दी–जल्दी की तारीख पेशी नियत की जा रही है। प्रकरण में दि0 07.04.2022 के बाद 18.04.2022, 28.04.2022, 10.05.2022, 17.05.2022, 27.05.22, 09.06.22 के बाद 16.06.22 नियत की गयी है। जबकि अन्य वादों में एक–एक दो–दो माह की तारीख पेशीयां नियत की जा रही है। मिन प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार

जिला कलक्टर, अलवर

फरमाया जाकर विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी दीपांश वगै0 बनाम सन्दीप वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 नाबालिग है। अप्रार्थीगण प्रभावशाली व राजनैतिक व्यक्ति नहीं है तथा ना ही अप्रार्थीगण का पीठासीन अधिकारी से को लेना–देना है। पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण को कोई दबाव नहीं है। बल्कि प्रकरण अंतिम बहस के स्तर पर है। जिसमें प्रार्थी के द्वारा बेजा तौर पर देरी करने की नियत है। झूठा प्रा0पत्र पेश किया गया है। प्रकरण में देरी करवाने की नियत से प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पेश किया गया था जो प्रा0पत्र दि0 04.10.2019 को खारिज हो गया। मिन अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी से कोई मिलीभगत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण 3, 4 व 5 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तरतीबी अप्रार्थी सं0 3 भारतीय थल सेना में नौकरी कर देश की सेवा कर रहा है। तरतीबी अप्रार्थी सं0 2 सैनिक की पत्नी है तथा तरतीबी अप्रार्थी सं0 4 सैनिक की विधवा मां है जो ग्रहिणी है। जो सभी राजनैतिक दबंग वाले व्यक्ति नहीं है और ना ही पीठासीन अधिकारी पर कोई दबाव बनाया हुआ है। प्रकरण अंतिम बहस के स्तर पर है। प्रार्थी के द्वारा झूठे व मनगढंत तथ्य दर्ज किये गये है। प्रकरण में देरी की नियत से प्रार्थी द्वारा आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 प्रा0पत्र पेश किया था। जो दिनांक 04.10.2019 को खारिज किया जा चुका है। प्रार्थना–पत्र महज वाद में देरी करने की गर्ज से पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के बाबत किसी भी साक्ष्यी का शपथ–पत्र पृथक से पेश नहीं किया गया है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि यदि उक्त राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी तिजारा ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र में अंकित कथन मात्र काल्पनिक एवं मनगढंत है। कोई राजनैतिक दबाव नहीं है। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। प्रथमदृष्ट्या प्रा0पत्र मुंतकिल न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विद्वान अभिभाषको की बहस के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी दीपांश वगै0 बनाम सन्दीप वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी तिजारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी तिजारा एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)